नगर निगम मुख्यालय स्थित प्रथम तल नवीन सभागार कक्ष (नगर आयुक्त कार्यालय के बगल में) मान्नीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 15.03.2021को स्थगित, जो पुनः दिनांक 20.03.2021 को स्थगित होकर दिनांक 26.03.2021 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

नगर निगम मुख्यालय स्थित प्रथम तल नवीन सभागार कक्ष (नगर आयुक्त कार्यालय के बगल में) मान्नीय कार्यकारिणी समिति की दिनांक 15.03.2021 की स्थगित बैठक, जो दिनांक 20.03.2021 दिन शनिवार को पुनः स्थगित हुयी, की कार्यवाही।

उपस्थिति

01	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर/सभापति
02	श्री अर्पित यादव	पार्षद/ सदस्य
03	श्री अमन दीप सिंह गम्भीर	पार्षद/ सदस्य
04	श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद/ सदस्य
05	श्री दीपक शर्मा	पार्षद/ सदस्य
06	श्री राघवेन्द्र मिश्रा	पार्षद/ सदस्य
07	श्री राशिद महमूद	पार्षद/ सदस्य
08	श्री अमित कुमार मेहरोत्रा	पार्षद/ सदस्य
09	श्री अशोक पाल	पार्षद/ सदस्य
10	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	पार्षद/ सदस्य
11	श्री घनश्याम गुप्ता	पार्षद/ सदस्य
12	श्री यशपाल सिंह	पार्षद/ सदस्य
13	श्री राजीव सेतिया	पार्षद/ सदस्य

अधिकारी

1. श्री अक्षय त्रिपाठी, नगर आयुक्त
2. श्री भानु प्रताप सिंह, अपर नगर आयुक्त 'प्रशासन'
3. श्री अरविन्द कुमार राय, अपर नगर आयुक्त
4. श्रीमती रोली गुप्ता, अपर नगर आयुक्त
5. श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
6. श्री एस0 के0 सिंह, मुख्य अभियन्ता (सिविल), नगर निगम
7. श्री नीरज गौड़, महाप्रबन्धक, जल कल विभाग, नगर निगम
8. श्री राजीव कुमार सिंह, सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम

सभापति ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सर्वप्रथम नवीन कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित 06 सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभ कामनासएं दी तथा नगर आयुक्त को कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही संचालन के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त एवं महापौर के आदेशानुपालन में अपर नगर आयुक्त 'प्रशासन' ने समिति के सदस्यों को नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 51 (2) मे प्राविधानित नियमों के तहत अवगत कराया कि प्रथम अधिवेशन में सर्वप्रथम उपसभापति का निर्वाचन होना है। अतः सहमति के आधार पर किसी का नाम मनोनयन करने का का कष्ट करे।।

तद्नुक्रम में श्री अशोक पाल ने श्री कैलाश चन्द्र पाण्डे का नाम प्रस्तावित किया, जिसका अनुमोदन श्री दीपक शर्मा तथा अन्य सदस्यों ने किया।

सर्वसम्मति से श्री कैलाश चन्द्र पाण्डे को उपसभापति घोषित किया गया ।

सभापति ने मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी से पूछा कि वित्तीय वर्ष 2020–21 का पुनरीक्षित बजट माह अगस्त में ही आ जाना चाहिये, यदि कोविड–19 का कारण था तो भी पुनरीक्षित आय–व्यय के आंकड़े संज्ञान में आ ही चुके होंगे, मुझसे विचार–विमर्श कर लेना चाहिये, जबकि ऐसा नहीं किया गया, जबकि शासन द्वारा 15 वें वित्त आयोग में 296 करोड़ शासन से आने का संज्ञान था, तो बजट में 152 करोड़ क्यों अंकित किया गया।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि मान्नीय सभापति महोदय हम सभी जानते है कि कोविड–19 के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 का मूल बजट ही जब दिनांक 18.11.2020 में स्वीकृत किया गया तो, इसी कारण से पुनरीक्षित बजट विलम्बित हुआ है। उ0प्र0 शासन से ही 15 वॉ वित्त आयोग की 148 करोड़ की धनराशि दो किस्तो में मे से प्रथम किस्त 74 करोड़ प्रदत्त हुयी है तथा दूसरी सम्भावित किश्त को ध्यान में लेते हुये पुनरीक्षित धनराशि प्रस्तावित की गयी है। कोविड–19 के कारण ही सभी आय–व्यय के तखमीनें प्रभावित हुये है। रिवालिविंग फण्ड का खाता चालू रखने के लिये 10 हजार की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।

श्री राशिद महमूद ने कहा कि गृह कर वसूली में जोन–2 में 38 करोड़ में 11 करोड़ बकाया दिखाया जा रहा है, जोन–3,4,5,6 में बकाया दिखाया जा रहा है, कितना बकाये की वसूली गयी, कितने नये की वसूली गयी, की जानकारी नहीं है।

सभापति ने कहा कि मदवार विस्तृत जानकारी प्रस्तत की जाये, तभी पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया जायेगा। नगर निगम मुख्यालय में निर्माण कराया जा रहा है, किस मद से कराया जा रहा है, इसकी जानकारी देना उचित नहीं समझा गया। बिल कार्यकारिणी समिति एवं सदन के संज्ञान में लाये। नगर निगम के अधिकारी कार्य कराकर पत्रावली या सूचना बैठक में प्रस्तुत कर देते है, जो कि आपित्तजनक है। सभापति ने सदस्यों से पूछा कि बिना कार्यकारिणी समिति/सदन के संज्ञान में लाये किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य चाहे, मुख्यालय में हो अथवा अन्य क्षेत्रो में, आपत्तिजनक हैं के साथ अधिकारियों की मनमानी मानी जायेगी। आप सभी सदस्य क्या मेरे कथन से सहमत हैं ? इस पर सभी सदस्यों ने ध्वनिमत से सभापति के कथन का समर्थन किया । इसी के साथ कहा कि बजट चाहे पुनरीक्षित हो अथवा मूल बजट सभी मदों के सम्बन्ध में पहले मुझसे विचार–विमर्श कर लिया जाय तब प्रस्तुत किया जाये। अतः इसी परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि विस्तृत जानकारी के पश्चात् ही बैठक पुनः बुलाई जाये।

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर/सभापति

नगर निगम मुख्यालय स्थित प्रथम तल नवीन सभागार कक्ष (नगर आयुक्त कार्यालय के बगल में) मान्नीय कार्यकारिणी समिति की दिनांक 15.03.2021 की स्थगित बैठक, जो पुनः दिनांक 20.03.2021 को स्थगित होकर दिनांक 26.03.2021 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1.	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर/ सभापति
2.	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	पार्षद/उपसभापति
3.	श्री अर्पित यादव	पार्षद /सदस्य
4.	श्री अमन दीप सिंह गम्भीर	पार्षद /सदस्य
5.	श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद /सदस्य
6.	श्री दीपक शर्मा	पार्षद /सदस्य
7.	श्री राघवेन्द्र मिश्रा	पार्षद /सदस्य
8.	श्री राशिद महमूद	पार्षद /सदस्य
9.	श्री अमित कुमार मेहरोत्रा	पार्षद/सदस्य
10.	श्री अशोक पाल	पार्षद /सदस्य
11.	श्री घनश्याम गुप्ता	पार्षद/सदस्य
12.	श्री राजीव सेतिया	पार्षद/सदस्य

अधिकारी

1. श्री अक्षय त्रिपाठी, नगर आयुक्त
2. श्री भानु प्रताप सिंह, अपर नगर आयुक्त 'प्रशासन'
3. श्री अरविन्द कुमार राय, अपर नगर आयुक्त
4. श्रीमती रोली गुप्ता, अपर नगर आयुक्त
5. श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
6. श्री एस0 के0 सिंह, मुख्य अभियन्ता (सिविल), नगर निगम
7. श्री नीरज गौड़, महाप्रबन्धक, जल कल विभाग, नगर निगम
8. श्री राजीव कुमार सिंह, सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम

सभापति ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये नगर आयुक्त को वित्तीय वर्ष 2020–21 के पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 के मूल बजट के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराने के निर्देश दिये।

तद्नुक्रम में सभापति एवं नगर आयुक्त के आदेशानुपालन में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने समिति के सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के पुनरीक्षित बजट से अगवत कराते हुये नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 में प्राविधानित नियमो/उपनियमो के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 का मूल बजट निम्नवत प्रस्तुत करते हुए कहा कि मा0 सभापति महोदया, नवनिर्वाचित मा0 उप सभापति, कार्यकारिणी के मा0 सदस्यगंण आप सभी विद्वतजनों के समक्ष नगर आयुक्त महोदय की पूर्व स्वीकृति तथा नगर निगम कानपुर के विभागाध्यक्षों से किए गये विचार विमर्श के पश्चात् मैं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी नगर निगम कानपुर, उ0प्र0

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 147 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पुनरीक्षित बजट में प्रस्तावित कुल पुनरीक्षित आय रूपया 1200 करोड़ 03 लाख 23 हजार के सापेक्ष कुल प्रस्तावित पुनरीक्षित व्यय रूपया 1200 करोड़ 03 लाख 23 हजार एवं उ0प्र0नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रस्तावित कुल आय रूपया 1133 करोड़ 62 लाख 93 हजार के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रूपया 1133 करोड़ 62 लाख 93 हजार को प्रस्तुत कर रहा हूॅ। मा0 समिति का ध्यान आकर्षित करते हुए पुनरीक्षित बजट वर्ष 2020–21 एवं मूल बजट 2021–22 का अनुमोदन सानुरोध निवेदित है।

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित बजट 2020–21 एंव मूल बजट 2021–22 को प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि वैश्विक महामारी कोविड–19 से सम्पूर्ण राष्ट्र प्रभावित रहा है। तद्नुसार नगर निगम कानपुर की राजस्व प्राप्तियॉ भी प्रभावित हुई हैं। परन्तु नगर निगम द्वारा प्रदान की जा रही जन सामान्य को सेवायें जो कि आवश्यक प्रकृति की हैं उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में बेहतर सेवाओं के उपलब्धता के दृष्टिगत नगर निगम को अपने संशाधनों से प्राप्त होनें वाली आय मे वित्तीय वर्ष 2020–21 में पुनरीक्षित अनुमानों मे गृहकर आदि से होने वाली आय को रू0–163 करोड से बढ़ाकर 208 करोड प्रस्तावित किया गया है। समिति को यह संतोष होगा कि दिनांक 24 मार्च 2021 तक गृहकर आदि मदों से सकल आय रू0–170 करोड़ से अधिक हो चुकी है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिश्रम से 31 मार्च 2021 तक गृहकर आदि से हमारी आय पुनरीक्षित अनुमानों के अनुरूप होगी।

मा0 समिति के समक्ष यह तथ्य प्रकाश में लाना समीचीन प्रतीत हो रहा है कि नगर निगम में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों आदि के वेतनादि तथा पेंशन से सम्बन्धित भुगतानों के बाबत राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होनें वाली धनराशि पूर्ण नहीं होती है। फिर भी नगर निगम स्तर पर वेतन तथा पेंशन के भुगतान के साथ–साथ अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान भी निरन्तर समय से किया जा रहा है। सूच्य है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण राज्य वित्त आयोग से माह मई एवं जून 2020 हेतु अनुदान प्राप्त न होनें की दशा मे उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार 14वें वित्त आयेाग की धनराशि से वेतनादि पर कुल रू0–68.31 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी। भारतवर्ष में महामारी की घोषणा के पूर्व कार्ययोजना स्वीकृत हो चुकी थीं, 14वें वित्त आयोग की धनराशि अन्यत्र व्यय होनें के कारण भी 14वें वित्त आयोग से सम्बन्धित कार्य एव उनके सापेक्ष होने वाले भुगतान में अभी तक संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। पुनरीक्षित बजट 2020–21 मे कतिपय व्यय अनुमानों को संशोधित किया गया है। कुछ मदों मे व्यय अनुमान घटाते हुए आवश्यक मदों मे व्यय अनुमान आवश्यकता के अनुसार बढ़ाये गये हैं। जिसका सूक्ष्म विवरण निम्नवत् है–

व्यय वृद्धि **धनराशि लाख में**

कं0 सं0	मदशीर्षक	मद का नाम	मूल आगणन	पुनरीक्षित आगणन
1	2201103	सुरक्षा, केयर टेकर, आउटसोर्स	750.00	1100.00

2	2305001	सड़क अनुरक्षण	2000.00	2400.00
3	2305003	नाला /नाली अनुरक्षण	600.00	900.00
4	2305201	कार्यालय भवन रख–रखाव	100.00	200.00
5	2305202	अन्य भवन रख–रखाव	200.00	300.00
6	2305301	वाहनों की वाह्य मरम्मत	150.00	200.00
7	2305304	वाहन सामग्रियों का रख–रखाव	200.00	225.00
8	2305909	गौशाला/आवारा पशुओं का रख–रखाव	400.00	800.00
9	2308007	अन्य अनुरक्षण	200.00	500.00
व्यय मे कमी				
1	2206002	विज्ञापन प्रकाशन	140.00	100.00
2	2301001	डीजल/गैस व्यय	1500.00	1100.00
3	2305002	मार्गप्रकाश अनुरक्षण	200.00	150.00
4	2305005	सड़क मरम्मत/सड़क क्षति के सापेक्ष	1500.00	900.00
5	2305006	सड़क मरम्मत/उद्योगबन्धु	1000.00	800.00
6	2305102	उद्यानों का रख–रखाव/वृक्षारोपड़	500.00	100.00

अतः मा0 कार्यकारिणी समिति से अनुरोध है कि पुनरीक्षित बजट 2020–21 को अपना अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान करनें का कष्ट करें।

मूल बजट 2021–22 पर चर्चा करनें से पूर्व मा0 समिति के संज्ञान में यह तथ्य लाना आवश्यक है कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा 10 लाख से उपर की आबादी वाले नगर निगमों हेतु टाइड ग्रान्ट दी गयी है। उक्त अनुदान की अगली किश्त की पात्रता हेतु कतिपय शर्तें रखी गयी हैं। जिनमें से एक प्रमुख शर्त यह है कि नगर निगम को प्राप्त होनें वाले गृहकर मे अभिवृद्धि राज्य सरकार के सकल धरेलू उत्पाद में वृद्धि के संगत होनी चाहिए। इसी कारण प्रस्तावित मूल बजट 2021–22 में गृहकर से प्राप्त होने वाली आय में वित्तीय वर्ष 2020–21 के पुनरीक्षित अनुमानों पर लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए रू0–228 करोड़ 81 लाख 50 हजार का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि पूर्व मे कहा जा चुका है कि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त होनें वाली धनराशि टाइड ग्रान्ट है अतएव नगर निगम द्वारा किए जानें वाले कई आवश्यक खर्चों को वहन करनें की अधिकांश जिम्मेदारी नगर निगम निधि पर आ जायेगी, क्योंकि 15वें वित्त आयोग मे स्वीकृति धनराशि मुख्यतः वायु गुणवत्ता सुधार एवं सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट तथा सेनिटेशन हेतु किया जा सकता है। जबकि पूर्व में 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा किए जानें वाले कई अन्य कार्य भी अनुमन्य थे। इसलिए मूल बजट वर्ष 2021–22 में प्रस्तुत व्ययानुमान निश्चित तौर पर नगर निगम के अपने संशाधनों से प्राप्त आय पर ही निर्भर होंगे। अन्य अनुदानों से प्राप्त आय सूचित मदों पर ही व्यय किए जानें की व्यवस्था निर्देशों मे दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रस्तुत बजट अनुमानों के मुख्य बिन्दु निम्न सारिणी में दिए गये हैं–

आय पक्ष **आय वृद्धि** **धनराशि लाख में**

क्रं0 सं0	**मदशीर्षक**	**मद का नाम**	**पुनरीक्षित आगणन 2020–21**	**मूल आगणन 2021–22**
1	1100101	सम्पत्ति कर आवासीय	15500.00	17050.00
2	1100102	सम्पत्ति कर अनावासीय	1500.00	1650.00

3	1100104	सम्पत्ति कर देनदारियों पर ब्याज	2300.00	2530.00
4	1301008	पार्क एवं खाली मैदान	80.00	110.00
5	1401101	लाइसेंस शुल्क वाहन रिक्शा आदि	110.00	150.00
6	1404009	अन्य शुल्क नामांतरण शुल्क	500.00	600.00
7	1407004	प्रशासनिक शुल्क सड़क क्षतिवूसली	500.00	700.00
8	1408003	अन्य शुल्क, विज्ञापनशुल्क/स्थल किराया	300.00	400.00
व्यय पक्ष		**व्यय मे वृद्धि**		**धनराशि लाख में**
क्रं0 सं0	**मदशीर्षक**	**मद कानाम**	**पुनरीक्षित आगणन 2020–21**	**मूल आगणन 2021–22**
1	2201101	कार्यालय अनुरक्षण बिजली एवं ईएसएसएल आदि	350.00	600.00
2	2203001	डीजल/पेट्रोल वाहन किराया	300.00	450.00
3	2208005	अन्य विविध व्यय	1.00	25.00
4	2303003	भण्डार का उपभोग/स्वास्थ्य सामग्री	260.00	350.00
5	2305001	सड़क अनुरक्षण	2400.00	2800.00
6	2305201	कार्यालय भवनों का रख–रखाव	200.00	300.00
7	2305901	फर्नीचर एवं फिटिंग का रख–रखाव	5.00	40.00
8	2308007	अन्य अनुरक्षण	500.00	600.00
9	2308009	आकस्मिक व्यय	0.00	500.00
		व्यय मे कमी	**धनराशि लाख में**	
1	2305005	सड़क मरम्मत/सड़क क्षति के सापेक्ष	900.00	700.00
2	2305007	राज्य वित्त आयोग 01 प्रतिशत मलिनबस्ती	235.00	1.00

मूल बजट 2021–22 में कार्यालय अनुरक्षण, बिजली आदि में गत वर्ष की तुलना मे कुल रू0–250.00 लाख की वृद्धि की गयी है, क्योंकि ई0ई0एस0एल0 को अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार लगभग 450.00 लाख के भुगतान की सम्भावना है। मुख्य अभियंता (सिविल) के द्वारा सड़क निर्माण से सम्बन्धित कार्यों की महत्ता बतायी गयी थी, जिसके दृष्टिगत गत वर्ष के पुनरीक्षित आगणन में कुल रू0– 400.00 लाख की वृद्धि की गयी है। राज्य मलिन बस्ती मद में गत वित्तीय वर्षों में 01 प्रतिशत की दर से अनुदान प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए इस मद में व्ययानुमान रू0–235.00 लाख से घटा कर रू0–1.00 लाख कर दिया गया है। मा0 समिति को यह अवगत कराना है कि मलिन बस्तियों के लिए प्रस्तावित विविध व्ययों यथा सड़क निर्माण, नाला नाली अनुरक्षण आदि मदों मे आवटिंत सकल धनराशि का 25 प्रतिशत मदवार व्यय अनुमान अलग से निर्धारित है।

मूल बजट वर्ष 2021–22 हेतु एक नया व्यय मद आकस्मिक व्यय रू0– 500.00 लाख से

सृजित किया गया है। समय–समय पर अतिविशिष्ट अतिथियों कें नगर आगमन, के दृष्टिगत विविध प्रकार के आकस्मिक व्यय इस मद से वहन किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त नगर निगम अथवा नगर निगम की सीमान्तर्गत किसी अन्य आकस्मिकता हेतु भी इस मद से सभी लेखा शीर्षकों के खर्चे वहन किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त विशेषताओं के साथ प्रस्तुत पुनरीक्षित बजट 2020–21 तथा मूल बजट 2021–22 पुनः कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित किए जानें का अनुरोध है।

कार्यसूची के बिन्दु–2 के अनुसार मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने समिति के सदस्यों अधिकारियों को नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 147 में प्राविधानित पुनरीक्षित

बजट वित्तीय वर्ष 20–21 की प्रतियॉ वितरित कराते हुये निम्नवत प्रस्तुत किया :–

प्रस्ताव संख्या– 274

पुनरीक्षित बजट
वर्ष 2020–21
नगर निगम कानपुर

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2019–20	प्रस्तावित धनराशि 2020–21	वास्तविक आय अगस्त 2020 तक	पुनरीक्षित धनराशि 2020–21
	Revenue Income		**राजस्व आय**	–				
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	3	14134.51	16301.50	5366.39	20801.50
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	126.73	170.50	5.87	130.00
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्को से आय	3-4	1756.24	3053.00	441.20	1858.25
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाडे से आय	5	94.22	227.00	34.74	83.55
1701	Income from Investments	1701	विनियोगो से आय	5	0.00	6.00	0.00	0.20
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	589.44	405.00	169.59	602.60
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	307.60	462.10	213.75	557.30
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	37695.03	36007.00	8830.64	35781.10
	TOTAL -(A)		**योग (अ)**	**6**	**54703.78**	**56632.10**	**15062.17**	**59814.50**

	Capital Income		**पूँजीगत आय**	-				
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				
3111	Finance Commission: Forteenth/ Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	6	12833.63	30400.00	162.50	30050.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	6	307.28	4000.00	0.00	2500.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6	1921.65	4530.00	453.47	4230.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण / असुरक्षित ऋण	7	0.00	7.00	0.00	0.40
	TOTAL -B-		**योग (ब)**	**7**	**15062.56**	**38937.00**	**615.97**	**36780.40**
	TOTAL (A+B)		**योग (अ+ब)**	**7**	**69766.34**	**95569.10**	**15678.15**	**96594.90**
	Reserve Fund (JNNURM)		**रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर 0एम0 / अमृत)**					
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिकमि निधि ऋण (रिवालविगं फण्ड)	7	0.00	100.00	0.00	0.10
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर. एम / अमृत योजना प्राप्तियाँ	7	881.78	1215.00	54.72	430.00
	TOTAL -C-		**योग (स)**	**7**	**881.78**	**1315.00**	**54.72**	**430.10**
	Total Revenue, Capital & JNNURM/ Amrut Income A +B+ C		**कुल राजस्व,पूँजीगत एवं जेएनएनयूआरएम / अमृत आय (अ+ब+स)**	**7**	**70648.11**	**96884.10**	**15732.87**	**97025.00**
4502	Opening Balance	4502		7	32311.22	22978.23	43461.42	22978.23
	Grand Total		**महायोग**	**7**	**102959.33**	**119862.33**	**59194.28**	**120003.23**

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	**Account Head**	**लेखा शीर्षक**	**लेखा मद**	**पृष्ठ संख्या**	**वास्तविक व्यय 2019–20**	**प्रस्तावित धनराशि 2020–21**	**वास्तविक व्यय अगस्त 2020तक**	**पुनरीक्षित धनराशि 2020–21**
	Revenue Expenses		**राजस्व व्यय**	_				
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	8	41399.57	43655.00	16751.32	42761.00

2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	8-9	1749.79	2442.00	694.27	2757.45
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	9-11	7667.99	13126.00	3442.18	12972.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	11	397.69	608.00	0.36	508.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	11-12	268.67	1040.00	139.11	772.50
	TOTAL -D-		**योग (द)**	**12**	**51483.71**	**60871.00**	**21027.24**	**59770.95**
	Capital expenses		**पूँजीगत व्यय**					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	3111	वित्त आयेाग : चौदहवाँ/पन्द्रहवाँ	13	10079.24	33300.00	6601.04	31300.00
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	13	740.16	4000.00	18.36	2500.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	13	1526.06	5600.00	835.84	5150.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण/असुरक्षित ऋण	14	0.31	8.00	0.00	4.00
	Total -E-		**योग (य)**	14	**12345.77**	**42908.00**	**7455.24**	**38954.00**
	Total -(D+E)		**योग (द+य)**	**14**	**63829.48**	**103779.00**	**28482.48**	**98724.95**
	Reserve Fund (JNNURM)		**रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0/अमृत)**					
3112	ULB Share transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	14	0.00	100.00	0.00	100.00
4604	JNNURM Scheme Advance & Expenses, etc.	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम/अमृत योजना अग्रिम/व्यय आदि	14	404.23	2040.00	-191.26	840.00
	TOTAL -F-		**योग (र)**	**14**	**404.23**	**2140.00**	**-191.26**	**940.00**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		**कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)**	**14**	**64233.71**	**105919.00**	**28291.23**	**99664.95**
3401	Less :- Outstanding dues / Suspenses	3401	घटायें :– देयतायें/उचन्त खाते	14	4735.80	0.00	4032.09	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		**शुद्व राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय**	**14**	**59497.92**	**105919.00**	**24259.13**	**99664.95**

4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :–	14	43461.42	13943.33	34935.15	20338.28
	Grand Total		**महायोग**	**14**	**102959.33**	**119862.33**	**59194.28**	**120003.23**

.....सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2020–2021 के नगर निगम पुनरीक्षित बजट आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 97025 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 22978.23 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 120003.23 लाख तथा व्यय पक्ष में धनांक रू0 99664.95 लाख एवं अन्तिम अवशेष रू0 20338.28 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 120003.23 लाख को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया ।

.....

प्रस्ताव संख्या– 275

मूल बजट 20–21
नगर निगम कानपुर
आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2019–20	पुनरीक्षित धनराशि 2020–21	वास्तविक आय दिसम्बर 2020 तक	प्रस्तावित धनराशि 2021–22
	Revenue Income		**राजस्व आय**	_				
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	3	14134.51	20801.50	11025.99	22881.50
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	126.73	130.00	74.14	166.00
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्को से आय	3-4	1756.24	1858.25	1050.04	2331.55
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाडे से आय	5	94.22	83.55	52.27	92.80
1701	Income from Investments	1701	विनियोगो से आय	5	0.00	0.20	0.00	0.20
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	589.44	602.60	306.20	602.60
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	307.60	557.30	412.22	563.30
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	37695.03	35781.10	19367.32	39630.20
	TOTAL -(A)		**योग (अ)**	**6**	**54703.78**	**59814.50**	**32288.18**	**66268.15**
	Capital Income		**पूँजीगत आय**	-				
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	;ksx ¼[k½	वित्त आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	6	12833.63	30050.00	15071.65	22620.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	6	307.28	2500.00	0.00	1500.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6	1921.65	4230.00	891.83	2036.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण / असुरक्षित ऋण	7	0.00	0.40	0.00	0.40
	TOTAL -B-		**योग (ब)**	**7**	**15062.56**	**36780.40**	**15963.48**	**26156.40**
	TOTAL (A+B)		**योग (अ+ब)**	**7**	**69766.34**	**96594.90**	**48251.66**	**92424.55**
	Reserve Fund (JNNURM)		**रिजर्व फण्ड**					

			(जे0एन0एन0यू0आर 0एम0/अमृत)					
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिकमि निधि ऋण (रिवालविगं फण्ड)	7	0.00	0.10	0.00	0.10
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर. एम/अमृत योजना प्राप्तियाँ	7	881.78	430.00	95.45	600.00
	TOTAL -C-		**योग (स)**	**7**	**881.78**	**430.10**	**95.45**	**600.10**
	Total Revenue, Capital & JNNURM/Amrut Income A +B+ C		**कुल राजस्व,पूँजीगत एवं जेएनएनयूआरएम/ अमृत आय (अ+ब+स)**	**7**	**70648.11**	**97025.00**	**48347.11**	**93024.65**
4502	Opening Balance	4502		7	32311.22	22978.23	41648.01	20338.28
	Grand Total		**महायोग**	**7**	**102959.33**	**120003.23**	**89995.12**	**113362.93**

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	**Account Head**	**लेखा शीर्षक**	**लेखा मद**	**पृष्ठ संख्या**	**वास्तविक व्यय 2019–20**	**पुनरीक्षित धनराशि 2020–21**	**वास्तविक व्यय दिसम्बर 2020 तक**	**प्रस्तावित धनराशि 2021–22**
	Revenue Expenses		**राजस्व व्यय**	-				
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	8	41399.57	42761.00	30212.70	45461.10
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	8-9	1749.79	2757.45	1319.83	3148.95
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	9-11	7667.99	12972.00	6986.26	13193.60
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	11	397.69	508.00	0.50	754.50
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	11-12	268.67	772.50	323.13	667.50
	TOTAL -D-		**योग (द)**	**12**	**51483.71**	**59770.95**	**38842.42**	**63225.65**
	Capital expenses		**पूँजीगत व्यय**					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ/पन्द्रहवाँ	13	10079.24	31300.00	11256.67	25100.00
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	13	740.16	2500.00	155.04	1500.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	13	1526.06	5150.00	991.57	2621.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण/असुरक्षित ऋण	14	0.31	4.00	0.00	4.00
	Total -E-		**योग (य)**	14	**12345.77**	**38954.00**	**12403.28**	**29225.00**
	Total -(D+E)		**योग (द+य)**	**14**	**63829.48**	**98724.95**	**51245.70**	**92450.65**
	Reserve Fund (JNNURM)		**रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर 0एम0/अमृत)**					
3112	ULB Share transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	14	0.00	100.00	0.00	100.00
4604	JNNURM Scheme Advance & Expenses, etc.	4604	जे.एन.एन.यू.आर. एम/अमृत योजना अग्रिम/व्यय आदि	14	404.23	840.00	-156.16	1020.00
	TOTAL -F-		**योग (र)**	**14**	**404.23**	**940.00**	**-156.16**	**1120.00**

	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		**कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)**	**14**	**64233.71**	**99664.95**	**51089.54**	**93570.65**
3401	Less :- Outstanding dues / Suspenses	;ksx ¼x½	घटायें :— देयतायें / उचन्त खाते	14	4735.80	0.00	18100.89	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		**शुद्व राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय**	**14**	**59497.92**	**99664.95**	**32988.66**	**93570.65**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :—	14	43461.42	20338.28	57006.46	19792.28
	Grand Total		**महायोग**	**14**	**102959.33**	**120003.23**	**89995.12**	**113362.93**

..................सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2021—22 के नगर निगम मूल बजट आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 93024.65 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 20338.28 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 113362. 93 लाख तथा व्यय पक्ष में धनांक रू0 93570.65 लाख एवं अन्तिम अवशेष रू0 19792.28 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 113362.93 लाख को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया ।

....

इसी परिप्रेक्ष्य में सभापति ने जल कल विभाग के वित्तीय वर्ष 2021—22 के मूल बजट को प्रस्तुत करने हेतु नगर आयुक्त/ महाप्रबंधक, जल कल को निर्देशित किया, तद्नुक्रम में श्री राजीव कुमार सिंह, वित्त अधिकारी, जल कल विभाग द्वारा निम्नवत प्रस्तुत करते हुए कहा कि मा0 सभापति महोदया, मा0 उपसभापति महोदय एवं मा0 कार्यकारिणी के मा0 सदस्यगंण आप सभी के समक्ष नगर आयुक्त महोदय की पूर्व स्वीकृति के पश्चात् मै0 प्र0 वित्त अधिकारी जलकल विभाग नगर निगम कानपुर, नगर निगम की धारा 146 के अर्न्गत वित्तीय वर्ष 2021—22 में प्रस्तावित कुल आय रू0— 231 करोड़ 30 लाख तथा प्रारम्भिक अवशेष रू0—35 करोड़ 51 लाख कुल रू0—266 करोड़ 81 लाख के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रू0— 218 करोड़ 92 लाख व अन्तिम अवशेष रू0—47 करोड़ 89 लाख कुल रू0— 266 करोड़ 81 लाख का मूल बजट तैयार कर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

जलकल विभाग की राजस्व आय मुख्य रूप से जलकर, सीवर कर तथा न्यूनतम प्रभार पर आधारित है। इन मदों से प्राप्त राजस्व आय से ही कर्मचारियों के वेतन/पेंशन तथा आवश्यक सेवाओं के संचालन तथा रख—रखाव का कार्य किया जाता है। मदवार राजस्व आय का विवरण पृष्ठ सं—02 पर तथा मदवार व्यय का विवरण पृष्ठ सं0—3,4,5 व 6 पर है। मूल बजट वित्तीय वर्ष 2021—22 मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। जिसे स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

<u>प्रस्ताव संख्या— 276</u>

	जलकल विभाग नगर निगम कानपुर					
	प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2021—22					
						(रू0 लाख में)
लेखा कोड	**क्रम सं0**	**मद विवरण**	**वास्तविक आय 2019—20**	**प्रस्तावित आय 2020—21**	**वास्तविक आय दिसम्बर, 2020**	**प्रस्तावित आय 2021—22**
	अ —	**राजस्व आय —**				
1100201		जलकर	5773.16	8200.00	4118.85	8500.00
1501011		अतिरिक्त जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	1578.58	2635.00	683.65	2720.00
1100301		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	2039.28	3325.00	1052.35	3520.00
1408002		अन्य प्राप्तियॉ	1.80	30.00	17.12	30.00
1408001		अधिभार	0.96	10.00	0.24	20.00

1401502		नियमितीकरण	7.40		20.00		4.45		20.00
1401401		विकास शुल्क	96.23		130.00		35.41		120.00
		अनुदान (पंचम राज्य वित्त आयोग)	0.00		0.00		2234.36		2400.00
		के0एन0एन0 (सामान्य निधि0)	0.00		0.00		100.00		0.00
		योग राजस्व –	**9497.41**		**14350.00**		**8246.43**		**17330.00**
	ब–	**असंचालन आय–**							
3111301		डिपाजिट कार्य							
	क	के0डी0ए0 फण्ड	126.33		0.00		0.00		500.00
	ख	14वां/15वां वित्त आयोग	1252.77		600.00		1199.55		1500.00
	ग	अवस्थापना निधि	0.00		0.00		0.00		200.00
3112301	**घ**	अनुदान (विद्युत एवं अन्य)	250.00		3600.00		0.00		3600.00
		कुल आय–	**1629.10**		**4200.00**		**1199.55**		**5800.00**
3311001	**स –**	**ऋण से प्राप्ति**	**-**		**-**		**-**		**-**
		योग–(अ+ब+स)	**11126.51**		**18550.00**		**9445.98**		**23130.00**
		प्रारम्भिक अवशेष	1967.73		2604.00		2291.89		3551.00
		महायोग –	**13094.24**		**21154.00**		**11737.87**		**26681.00**

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर

प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2021–22

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	कम सं0	मद विवरण	वास्तविक व्यय 2019–20		प्रस्तावित व्यय 2020–21		वास्तविक व्यय दिसम्बर, 2020		प्रस्तावित व्यय 2021–22
	अ–	**संचालन व्यय –**							
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	9505.01		10905.00		8159.13		12924.00
2303004	2	पूर्तियॉ	312.07		750.00		241.00		920.00
2308007	3	अन्य व्यय	55.20		75.00		72.51		130.00
2305006	4	रख–रखाव व्यय	854.40		1405.00		726.23		1660.00
2208003	5	जनरल टैक्स (समायोजन)	472.95		300.00		0.00		350.00
		योग संचालन व्यय –	**11199.63**		**13435.00**		**9198.87**		**15984.00**
	ब–	**असंचालन व्यय –**							
4104007	1	जल मापक यन्त्रों का क्रय	-		2.00		-		2.00
4106001	2	मशीनों तथा यन्त्रों का क्रय	-		20.00		-		25.00
4107001	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	-		10.00		-		15.00
4105001	4	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	-		0.00		-		0.00
4102001	5	भवन निर्माण एवं भूमि	-		10.00		-		20.00
4107006	6	आकस्मिक पूंजीगत	-		6.00		-		6.00

		व्यय							
4103101	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	-		15.00		-		20.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प हाउस	-		0.00		-		0.00
4104003	9	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय	-		10.00		-		20.00
3311001	10	ऋण एवं व्याज का भुगतान	-		0.00		-		0.00
3111301	11	डिपाजिट कार्य का भुगतान							
	ख	के0डी0ए0 फण्ड	252.31		0.00		154.63		500.00
	ग	14वां/15वां वित्त आयोग	983.61		500.00		862.52		1500.00
	घ	अवस्थापना निधि	44.52		0.00		20.58		200.00
2302001	12	विधुत एवं ऊर्जा	221.20		3600.00		0.00		3600.00
		योग असंचालन व्यय –	**1501.64**		**4173.00**		**1037.73**		**5908.00**
		कुल योग (अ ब) व्यय	13071.17		17603.00		10236.60		21892.00
		अन्तिम अवशेष	173.07		3551.00		654.45		4789.00
		महायोग	**13244.24**		**21154.00**		**10891.05**		**26681.00**

.....सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2021–22 के जल कल विभाग, नगर निगम के मूल बजट आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 23130.00 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 3551.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 26681.00 लाख तथा व्यय पक्ष में धनांक रू0 21892.00 लाख एवं अन्तिम अवशेष रू0 4789.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 26681.00 लाख को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया ।

.....

प्रस्ताव संख्या–277

श्रीमान् नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/263/ सम्पत्ति/20–21 दिनांक –11.02.2021 प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

मा0 कार्यकारिणी समिति की अगामी बैठक मे प्रस्तुत किये जाने हेतु संलग्न प्रस्ताव का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनॉक 31–12 –2005 के प्रस्ताव संख्या 1367 मे मेजर सलमान, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो गये थे,को महाबलीपुरम में आधे मूल्य पर एक भूखण्ड व रू0 50,000–नगद एक सप्ताह के अन्दर दिलाना सुनिश्चित किये जाने की स्वीकृति सर्व सम्मति से प्रदान की गयी थी।

उक्त स्वीकृति प्रस्ताव पर शासन से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या डी/369/उ0न0आ0 दिनॉक 04/5/2006 को भेजा गया था जिसके क्रम में अनुसचिव नगर विकास अनुभाग –7 उ0 प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या 642/नौ–7–10–11 के /10 दिनॉक 28/4/2010 , द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनॉक 31/12/2005 में सर्वसम्मत से स्वीकृत प्रस्ताव सख्या 1367 पर नगर निगम बोर्ड के अनुमोदन की प्रति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त के क्रम में प्रस्ताव मा0 सदन के बैठक में स्वीकृतार्थ हेतु पत्र सख्या डी/198/सम्पत्ति/19–20दिनॉक 20/12/2019 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर आपके आदेश के क्रम में विधिक राय लिया जाना समीचीन होगा के आदेश प्रदान किये गये थे। विधिक राय पर पुनः नवीन रूप से मा0 कार्यकारिणी समितिमें प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार कर दिया गया है।

अतः मा0 कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 31.12.2005 के प्रस्ताव संख्या 1367 में मेजर सलमान, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो गये थे, पुनः प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या–278

श्रीमान् नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/760/ अ0अ0–4/20–21 दिनांक –08.03.2021 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3)के अन्तर्गत, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकार्थ प्रेषित हैः–

विषयः–जोन–4 वार्ड 10 बेनाझाबर के अन्तर्गत आर्य नगर क्रासिंग से आर्यनगर धर्मशाला तक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।

जोन–4 वार्ड–10 बेनाझाबर के अन्तर्गत आर्यनगर क्रासिंग से आर्य नगर धर्मशाला तक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य हेतु मा0 पार्षद श्री अवनीश खन्ना जी के प्रस्ताव पर उक्त कार्य का आगणन घनांक रु0 16,49,856.00 में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 घनांक रु0 1,97,983.00 का प्राविधान करते हुए कुल घनांक रु0 18,47,839.00 का बनाया गया है।

अतः कार्य हेतु आगणन घनांक रु0 18,47,839.00 एवं जी0एस0टी0 हेतु आरक्षित घनांक रु0 1,97,983.00 की स्वीकृति के साथ–साथ निविदा आमंत्रित हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या–279

श्रीमान् नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/250/ प–4/20–21 दिनांक –06.03.2021 प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकार्थ प्रेषित हैः–

विषयः–जोन नगर निगम द्वारा संचालिच चार वित्तविहीन मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मान्टेसरी सेवा के सृजित पदों पर नियमित वेतनक्रम की शिक्षिकाओं को सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बंन्ध में ।

कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित 04 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मान्टेसरी सेवा के सृजित पदों पर नियमित वेतनक्रम की शिक्षिकाओं को शासनादेश सं0– 3409/9– 1–17–194 सा/16, दिनांक 04.01.2017 के अनुसार सातवें वेतन आयोग का लाभ दिनांक 01.01.2016 से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या–92 में मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक 08.10.2018 को दिये गये निर्देश के क्रम में इन विद्यालयों से प्राप्त आख्या के अनुसार अतिरिक्त मासिक व्ययभार रूपया 142615.00 , प्रतिवर्ष व्ययभार रूपया 1711380.00 तथा एरियर पर व्ययभार रूपया 4721770.00 मात्र का आकलन हुआ । पुनः मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 04.09.2019 में प्रस्ताव संख्या–116 प्रस्तुत हुआ, जिस पर मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये । उक्त के क्रम में शासनादेश दिनांक 04.01.2017 के अनुसार सातवें वेतन आयोग का लाभ दिनांक 01.01.2016 से निम्नवत् प्रदान किया जाना है :–

पदनाम	दिनांक 01.01.2016 से संशोधित
प्रधानाध्यापिका	9300–34800 ग्रेड पे 4800/– मैट्रिक्स लेबल 8 में
सहायक अध्यापिका प्रशिक्षित स्नातक एल0टी0ग्रेड	9300–34800 ग्रेड पे 4600/– मैट्रिक्स लेबल 7 में
सहायक अध्यापिका सी0टी0 नर्सरी	9300–34800 ग्रेड पे 4200/– मैट्रिक्स लेबल 6 में

विद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में कार्यरत शिक्षिकाओं को सातवें वेतन आयोग का लाभ प्रदान करने पर प्रतिमाह अतिरिक्त व्ययभार रू0 1,06,735/– आयेगा । अतः दिनांक 01.01.2016 से उपरोक्तानुसार सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या–280

स्वामी आत्मश्रद्धानन्द,सचिव,राम कृष्ण मिशन आश्रम,राम कृष्ण नगर,कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषयः–रामकृष्ण मिशन आश्रम से जी0टी0 रोड तक के मार्ग का नाम''स्वामी विवेकानन्द मार्ग''करने के सन्दर्भ में।

राम कृष्ण मिशन आश्रम,कानपुर विश्वव्यापी रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है जिसे स्वामी विवेकानन्द जी ने 120 वर्ष पहले प्रारम्भ किया था। उनका उद्देश्य ''सेवा'' के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अवचेतना को जागृत करना था। राम कृष्ण मिशन आश्रम,कानपुर शाखा की शुरूआत सन् 1920 ई. में कराचीखाना में हुई,तत्पश्चात कुछ अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित होकर सन् 1936 ई.में वर्तमान पते पर स्थापित हुई। उक्त शाखा स्वामी विवेकानन्द जी के कार्य में संलग्न है। आज आश्रम द्वारा सफलतापूर्वक धर्माथ चिकित्सालय, हाईस्कूल, लाइब्रेरी, मलिन बस्ती विकास कार्य आपदा के समय सहायता,महिलाओं बच्चो का उन्नयन ,विभिन्न स्कूलो,कालेज में मूल्य परक शिक्षा की कक्षायें तथा चिकित्सा शिविर का संचालन किया जा रहा है। इन सब के अतिरिक्त मन्दिर में नित्यपूजा और वर्षभर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते है जिसमें बहुत सारे लोग कार्यक्रमो में शामिल होते हैं।

राम कृष्ण मिशन आश्रम,कानपुर एक गैर लाभकारी ,सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था है जो कि कानपुर के हजारों लोगो के जीवन एवं हद्धय को स्पर्श कर रहा है। अतः यह आश्रम कानपुर का एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जिस पर कानपुर को गर्व है। राम कृष्ण मिशन उ0 मा0 विद्यालय ,कानपुर (जिसमें लगभग 600 छात्र तथा कक्षा 6 से 10 तक है) हम आपसे निम्न निवेदन करना चाहते है :–

यह कि राम कृष्ण मिशन आश्रम से जी0टी0 रोड तक का मार्ग का नाम ''स्वामी विवेकानन्द मार्ग'' किया जाना समाजोपयोगी है। जिससे कि कानपुर शहर की आम जनता एवं युवा वर्ग स्वामी विवेकानन्द जी के सामाजिक एवं आध्यमिक संदेश से भलीभॉति परिचित हो सके।

अतः आपसे निवेदन है कि राम कृष्ण मिशन आश्रम,कानपुर से जी0टी0 रोड तक का मार्ग का नाम ''स्वामी विवेकानन्द मार्ग '' करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या–281

डा0 वाई0के0 महेन्द्रा,निदेशक,खैराबाद आई हॉस्पिटल कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :–

विषयः– खैराबाद आई हॉस्पिटल के रास्ते का नाम ''डा0 पी0एन0 महेंद्रा मार्ग'' करने के सम्बन्ध में।

खैराबाद आई हॉस्पिटल,जैसा कि आप जानती ही है,कि वर्षो से (सन् 1975) से न केवल कानपुर नगर वरन प्रदेश के अनेकों जनपदों के गरीब नेत्र रोगियों का मुफ्त इलाज,उपचार व ऑपरेशन कर उनकी सेवा में रत है व इस क्षेत्र में प्रख्यात है।

इस गली में जो भी आवासीय लोग है,या डॉक्टर्स के चैम्बर,दुकानें आदि सब अपने पते में खैराबाद आई हॉस्पिटल का उपयोग करते है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस रास्ते का नाम खैराबाद आई हॉस्पिटल के संस्थापक स्व0 डॉ0 पी0एन0 महेन्द्रा की स्मृति में **'' डॉ0 पी0एन0 महेन्द्रा मार्ग''** किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या–282

हाजी सुहैल अहमद(पूर्व कार्यकारिणी सदस्य) ,श्री अवनीश खन्ना(पूर्व कार्यकारिणी सदस्य) एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

विषय :– वार्ड 10 बेनाझाबर के अन्तर्गत मूलगंज टैम्पो स्टैण्ड पर फाउण्टेन का नाम कमला दरियाबादी चौक के संम्बन्ध में।

श्रीमती कमला दरिया बादी वर्ष1980 से लेकर 1989 तक सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र से विधायक रही है साथ ही नगर निगम कानपुर की 10 वर्ष पदेन सदस्य भी रही हैं इनका कानपुर के विकास में बहुत ही महत्व पूर्ण योगदान रहा है इनके पुत्र श्री संजीव दरियाबादी द्वारा मूलगंज टैम्पो स्टैण्ड पर फाउण्टेन का निर्माण कराया था जो कि जार्ण शीर्ण अवस्था में है।

अतः उक्त फाउण्टेन का नाम ''कमला दरिया बादी'' चौक किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या–283

श्री धर्म प्रकाश गुप्ता संयोजक/सचिव ,(कानपुर पंचायत)प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

विषयः– ऐतिहासिक घटना स्थल जो पुराने टाउनहाल कोपरगंज के समीप तात्याटोपे की अंग्रजों से युद्ध की प्रतिमा स्थापित करने के सम्बन्ध में।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। कानपुर 28 जून 1857 को पूर्णतः तत्कालीन ब्रिटिश शासन से मुक्त हो चुका था और श्रद्धेय नाना साहब पेशवा का राज्य कायम हो गया था। दुर्भाग्यवश 17 जुलाई को पुनः कानपुर अग्रेजों के हाथ में आ गया। परन्तु नाना साहब और तात्या टोपे पुनः स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे और 28 नवम्बर को कानपुर पुनः क्रांतिकारियों के हाथ में आ गया। तात्या टोपे ने वर्तमान कोपरगंज के मैदान में कर्नल विंढम को हराकर उसे कानपुर से भगाने पर मजबूर कर दिया। इस घटना का विवरण कानपुर गजेटियर में भी प्राप्त होता है।

यह एतिहासिक घटना स्थल जो पुराने टाउनहाल कोपरगंज के समीप है, वहॉ पर तात्या टोपे ने अंग्रेजों से लड़ाई की प्रतिमा स्थापित किये जाने के सन्दर्भ में प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या–284

श्री अर्पित यादव पार्षद वार्ड 45 द्वाराप्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

विषय :– श्री आनन्देश्वर धाम परमट मंदिर के आवागमन की सड़क व परिसर का सुन्दरीकरण के संम्बन्ध में।

मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव है कि श्री बाबा आनन्देशवर धाम परमट मन्दिर के परिसर व आवागमन की सड़क का भव्य सुन्दरीकरण करने के सन्दर्भ में। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या–285

श्री प्रवीन सचान,(नगर पार्षद) द्वाराप्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

विषयः–वार्ड 60 रावतपुर गॉव चौधरी स्वीट हाउस निकट नमक फैक्ट्री चौराहा से एक रोड छात्रावास तक जाती है जिसका नाम स्वतन्त्रता सेनानी वीरसा मुण्डामार्ग किये जाने के सम्बन्ध में।

वार्ड– 60 रावतपुर गॉव में एक प्रतिष्ठित वनवासी छात्रावास है जिसमे आदीवासी वनवासी बच्चो को रहने व शिक्षण की व्यवस्था सर्व समाज के माध्यम से की जाती है। यह वनवासी छात्रावास स्वतन्त्रता सेनानी वीरसामुण्डा के नाम पर है जो अपने कानपुर नगर की शान है जिसका उदाहरण लोग देते है।चौधरी स्वीट हाउस निकट नमक फैक्ट्री से एकृ रोड छात्रावास तक जाती है जिसका नाम स्वतन्त्रता सेनानी वीरसामुण्डा मार्ग किये जाने एंव उक्त मार्ग पर एक द्वार का निर्माण किया जाए जिस पर स्वतन्त्रता सेनानी वीरसामुण्डा मार्ग अंकित किये जाने के सन्दर्भ में प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्याः–286

श्री प्रवीन सचान,(नगर पार्षद) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

विषय :– वार्ड 85 लाजपत नगर के अन्तर्गत थाना नजीरा बाद के सामने कब्रिस्तान का मुख्य द्वार बनवाने के सम्बन्ध में।

वार्ड–85 लाजपत नगर के अर्न्तगत थाना नजीराबाद के सामने स्वामी अछूतानन्द समाधी स्थल है जहॉ कब्रिस्तान भी है। जिसका मुख्यद्वार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है जिससे शव यात्रा में आने वाले को दुर्घटना का अन्देशा बना रहता है।

इस समस्या को संज्ञान में लेकर उक्त मुख्यद्वार का जीर्णोधार मेरी पार्षद निधि द्वारा सम्पन्न कराने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या– 287

श्रीमति गिरजा यादव (अध्यक्ष) महर्षि दयानन्द विहार जन–कल्याण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

विषयः–महर्षि दयान्द बिहार स्थित कोविद महा महिम राष्ट्रपति महोदया के आवास के आवास को जाने वाले निम्नाकित मार्ग चौराह तथा पार्क का नामाकरण सदन मे पास कराये जाने के सम्बन्ध मे

महिर्ष दयानन्द बिहार स्थित श्री राम नाथ कोंविद महामहिम राष्ट्रीपति महोदय को जाने वाले मार्ग चौराह तथा पार्क के लिए राट्रहित मे तथा श्री रामनाथ कोंविद महा महिम राष्ट्रपति महोदय की गरिमा के अनुरूप निम्नाकित मार्ग चौराह तथापार्क का नामाकरण होना कानपूर के लिए गौरव की लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है

अतः महोदया से अनुरोध है कि दयानन्द बिहार स्थित महा महिम राष्ट्रपति महोदय के आवास को जाने वाले निम्नाकित मार्ग चौराहा तथा पार्क का नामाकरण कराने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या–288

श्री गिरीश चंन्द्र (पार्षद) एवं अन्य पार्षद गण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

विषयः–शिक्षा के प्रति नगर निगम की खोई ख्याति वापस लाने के सम्बध में।

निवेदन के साथ अवगत कराना हे कि शिक्षा समाज की नीव है अगर शिक्षा का समाज मे अभाव है तो कानपुर का विकास अधूरा है आप सहित जनमानय को अवगत होगा जीतने सरकारी स्कूल थे आज वो दम तोड़ने की स्थित में है और जो प्राइवेट स्कूल थे वो आज जमीन से आसमान को चूम रहे हैं। जबकि सरकारी स्कूल के शिक्षक प्राइवेट की अपेक्षा बहुत पढ़े लिखे हैं आप इससे भी अवगत हैं कि विगत कई वर्षों पहले सरकारी स्कूलो का स्तर बहुत अच्छा था।

अतः आप से प्रर्थना है कि ज्यादा नहीं तो जो नगर निगम द्वारा संचालित स्कूल है या खाली पड़ी जमीनो पर पी0पी0 माडल पर तैयार कर शिक्षण शुल्क कम लेकर शिक्षा प्रति नगर निगम की खोई ख्याति वापस लाने और उसका नगर के जन मानस को अच्छी शिक्षा मिल सके। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या–289

श्री महेश त्रिवेदी मा0 विधायक/ पूर्व मंत्री, किदवई नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

विषय :–जोन 3 के अन्तर्गत वार्ड 70मे गुजन बिहार सधर्ष नगर कर्रही स्थित लक्ष्मण पार्क मे श्रद्वेय मा0 श्री अटल बिहिरी बाज पेई जी की प्रतिमा लगवाये जाने के सम्बध मे।

आशा हे कि आप स्वस्थ व प्रसिन्नचित्त होगी संलग्न प्रार्थन पत्र आप के पास इस आशा से प्रषित है कि अपनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 70 मे गुंजन बिहार कर्रही मे लक्ष्मण पार्क स्थित है क्षेत्रीय जन उक्त पार्क मे अपने आदर्श महापुरूष श्रद्वेय मा0 श्री अटल बिहरी बाज पेइे जी की प्रतिमा लगवाना चाहते हैं।

अतः सहानुभूति पूर्व विचार कर क्षेत्रीय जनो की भावनाओ की दृष्टिगत रखते हुए उक्त पार्कमे श्रद्वेय मा0 श्री अटल बिहरी बाजपेई जी की प्रतिमा लगवाने का कष्ट करे उक्त प्रतिमा की देख रेख वा साफ सफाई का ध्यान जनो द्वरा रखा जायेगा। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रसताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या–290

श्री महेंद्र प्रताप सिंह (राजन) पूर्व पार्षद वार्ड–78 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

विषयः–समाजसेवी स्व0 वासुदेव वासवानी जी की सड़क उनके नाम से समर्पित किये जाने के सम्बन्ध में।

आपको सादर अवगत कराना है कि कानपुर के लोकप्रिय समाजसेवी स्व0 वासुदेव वासवानी जी जो ब्रम्हलीन हो गये जो कि 40 वर्षों से निरन्तर पी रोड गॉधी नगर मे अपनी चक्की चलााकर वही बैठकर समाज को दिशा देने का कार्य करते थे मेरा निवेदन है कि उक्त सड़क का नाम उनके नाम पर करने की कृपा करे जो कि उनके लिये सच्ची श्रद्वांजली होगी। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या–291

श्री अर्पित यादव ,(पार्षद) द्वाराप्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैः–

विषयः–वार्ड 45 के अन्तर्गत जॉचोपरांत क्षेत्र की खाली पड़ी लगभग 200 बीट में कर्मचारी बढ़ाने के सम्बन्ध में ।

मेरे वार्ड क्षेत्र 45 के अन्तर्गत 01 ब्लाक में 30 गलियॉ है और क्षेत्र में लगभग 08 ब्लाक हैं व प्रत्येक ब्लाक में 3 से 4 कर्मचारी कार्यरत हैं और लगभग 08 चौराहे हैं और 28 पार्क हैं व 25 मुख्य सड़कें हैं। क्षेत्र में कुल 36 कर्मचाारी हैं , जिससे क्षेत्र में गन्दगी आयदिन बनी रहती है।

अतः श्रीमान जी से सादर अवगत कराना है कि क्षेत्र की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव दे रहा हूॅ। कृपया स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें और कम से कम 15 कर्मचारी बढ़ाने का कष्ट करें। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

सभापति ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया चूंकि यह विशेष बजट की बैठक है अतः कार्यसूची के शेष प्रस्ताव संख्या– 277 से प्रस्ताव संख्या–291 तक (कुल 15 प्रस्ताव) अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

सभापति के समक्ष निम्नवत प्रस्ताव (टेबुल) हुये–

प्रस्ताव संख्या– 292

डा0 शिवांकात मिश्रा, श्रद्धेय पं0 राम बालक मिश्र जन्म शताब्दी समारोह समिति के द्वारा प्रस्तुत सुप्रसिद्ध समाज सेवी स्व0 पंडित राम बालक मिश्र के नाम से पर काकादेव थाना मार्ग के नामकरण का प्रस्ताव ।

स्व0 राम बालक मिश्र कानपुर शहर के सुप्रसिद्ध समाज सेवी वरिष्ठ अधिवक्ता व कानपुर बार ऐसासिएशन के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश बार कॉउन्सिल के चेयरमैन रहे। ऐसे यशस्वी महापुरूष की स्मृति में उनके निवास (संकल्प ए–11 सर्वोदय नगर, कानपुर काकादेव थाना के सामने) वाली सड़क का नामकरण ''**पं. रामबालक मिश्र मार्ग**'' नामकरण का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

.....तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या– 293

श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय, पार्षद/उपसभापति द्वारा प्रस्तुत जोनल अधिकारी श्री अतुल कृष्ण सिंह की पत्नी स्व0 ''डॉ. ऋचा सिंह आयुष पार्क'' के नाम पर आफिसर्स कॉलोनी, नगर निगम मोतीझील स्थित पार्क का नामकरण प्रस्ताव

जोनल अधिकारी श्री अतुल कृष्ण सिंह की पत्नी स्व ऋचा सिंह की कैंसर से हृदय विदारक असमय मृत्यु हो गयी है। उनका परिवार आफिसर्स कॉलानी में मे रहता है। उक्त कॉलोनी में नवनिर्मित पार्क है, जिसका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। उक्त पार्क को उनकी स्मृति में ''डॉ. ऋचा सिंह आयुष पार्क'' के नाम पर नामकरण का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

.....तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या–294

पालिका स्टेडियम में स्पोटर्स काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव''

पलिका स्टेडियम कानपुर नगर निगम स्वामित्व हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के खेल–कूद तथा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता हैं। यहाँ पर इन्डोर गेम्स के लिये कोई भी सुविधा उपलब्ध नही हैं। उपरोक्त के साथ–साथ नगर में भी इन्डोर स्पोर्ट के लिये कोई अंतराष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध नही हैं। अतः उपरोक्त के क्रम में कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा यहाँ परउपलब्ध रिक्त स्थानपर एक अंतराष्ट्रीय स्तर का सुविधा युक्त स्टेडियम का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित हैं, जो की कानपुर स्मार्ट सिटी मिशन की गाइड लाईन्स मे अंकित हैं। उपरोक्त स्पोर्ट काम्पलेक्स के निर्माण से पालिका स्टेडियम मे ंपूर्व उपलब्ध क्रीड़ा सुविधाओं में ंकोई भी बदलाव नही होगा। उक्त स्टेडियम के लगभग 45 करोड़ की धनराशि व्यय का अनुमानित हैं।कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा उक्त रिक्त स्थल पर स्पोटर्स काम्पलेक्स के निर्माण में व्यय धनराशि की प्रति पूर्तिगणना के अनुसार लगभग 10 वर्षो मे संचालन के उपरान्त कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को प्राप्त होगी।

अतः कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड पालिका स्टेडियम मे अत्याधुनिक स्पोर्टस काम्पलेक्स के निर्माण व निर्माण उपरान्त 10 वर्षो तक संचालन एवं रख–रखाव हेतु मे कानपुर नगर निगम की शर्तो के अनुसार प्रदान करने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति, के समक्ष सादर स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.....तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 सदन को अग्रसारित किया गया।

श्री अर्पित यादव ने विगत परम्परा के अनुसार कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के वार्ड के किसी एक पार्क को विकासित कर सुन्दरीकरण कराने की मांग की।

राशिद महमूद ने कहा कि नगर निगम द्वारा पूर्व में विकसित पार्को की देखरेख नहीं हो पारही है, क्योंकि मालियों की तैनाती नहीं की जाती है, जिससे पार्क उजड़ रहे है, तो ऐसे में वार्ड के किसी एक पार्क को केवल विकसित/सौन्दर्यीकृत होना प्र्याप्त नहीं है।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि पर्यावरण के दृष्टिगत मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण कराते हुये कुछ पार्क विकसित/सौन्दर्यीकृत कराये जा रहे है तथ कुछ पार्को को सामाजिक संस्था द्वारा गोद लेकर सीमित संसाधन से विकसित/संरक्षित भी किया जा रहा है।

अतः केवल कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के वार्ड के एक पार्क को विकासित/सौन्दर्यीकृत कराना अन्य पार्षदो के साथ न्यायोचित नहीं होगां।

नगर आयुक्त ने कहा कि अभी अटल घाट आवंटित करने हेतु प्रार्थना पत्र आते है, किन्तु सफाई इत्यादि नगर निगम को कराना पड़ता है। अभी अटल घाट से कोई आय भी नहीं होती है। मेरा प्रस्ताव है कि अटल घाट की सफाई हेतु दो हजार पॉच हजार शुल्क आवंटन धनराशि निर्धारित की जाये।

सभापति ने अटल घाट की आवंटन धनराशि रू0 पॉच हजार निर्धारित करने कार्यकारिणी सदस्यों से अनुरोध किया, जिसे सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया, साथ ही सभापति द्वारा अटल घाट की आवंटन प्रक्रिया का विस्तृत प्रक्रिया का प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

श्री अर्पित यादव, श्री अमनदीप सिंह गम्भीर तथा अंकित मेहरोत्रा ने कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रो के प्रकाश बिन्दु बन्द होने से अगवत कराते हुये ई0ई0एस0एल के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही राने तथा मार्ग प्रकाश विभाग के माध्यम से पूर्व की भॉति कार्य कराये जाये।

श्री अर्पित यादव ने कहा कि पालिका स्टेडियम में क्रिकेट खेल सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध नहीं रहती है, जिसके कारण पार्षदो एवं अधिकारियों को क्रिकेट खेल की प्रैक्टिस में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

नगर आयुक्त एक कमिटी बनाये जाने जाने का आश्वासन दिया गया।

सभापति ने नगर आयुक्त को पार्षद एवं अधिकारियों एक ''खेल प्रोत्साहन समिति'' तैयार कर मा0 सदन में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि ई0ई0एस0एल से अनुबन्ध हुआ था कि सभी प्रकाश बिन्दुओं में एल0ई0डी0 लगाकर रख–रखाब एवं संचालन किया जायेगा, क्योंकि पूर्व में मा प्रकाश विभाग की विद्युत बिल जो लगभग 21 हजार से 22 हजार वॉट होता था, केस्को को शासन के माध्यम से अवमुक्त धनराशि से काट लिया जाता था। इसके दृष्टिगत ई0ई0एस0एल कम्पनी द्वारा लगभग 90 हजार लाइटें बदली गयी तथा लगभग 30 हजार लगायी गयी। इससे 8.50 प्रतिशत बचत हुयी। ई0ई0एस0एल कम्पनी को रू0 13.50 करोड़ के बिल का भुगतान एवं विद्युत खम्भों तथा अन्य आवश्यक कार्यो हेतु पुनरीक्षित बजट में 4.50 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।

श्री अशोक पाल ने भी कहा कि नगर निगम मे माध्यम से ही मार्ग प्रकाश विभाग का कार्य संचालन कराया जाये।

उपसभापति श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि जब ई0ई0एस0एल कम्पनी द्वारा नगर निगम के संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है, तो कम्पनी की भूमिका क्या है, समझ से परे है। अतः मार्ग प्रकाश विभाग हेतु लगभग 02 करोड़ की धनराशि बजट में आरक्षित कर दी जाये।ग

सभापति ने भी कहा कि क्षेत्रों के प्रकाश बिन्दु स्थापित करने या कोई खराबी ठीक करानें हेतु नगर निगम की गाड़ी या मानव बल प्रयोग करना यह सब अनुबन्ध का उल्लंघन नहीं हो रहा है, नगर आयुक्त आप स्वयं इसकी समीक्षा करें तथा भविष्य की संचालन नीति निर्धारित करें।

नगर आयुक्त ने कहा कि यह भी देख लिया जाये कि बजट में मार्ग प्रकाश हेतु भी प्राविधानित धनराशि से केवल मरम्मत होगी या नयी लाइटें लगायी जाायेंगी।

प्रभारी अधिकारी मार्ग प्रकाश श्री रमेश चन्द्र पाल ने सदस्यों को स्पष्ट किया जाये कि ई0ई0एस0एल कम्पनी से हुये अनुबन्ध के अनुसार नगर निगम द्वारा विद्युत खम्भों में करेन्ट पहुॅचाने तक दायित्व है।

श्री अशोक पाल नें कहा कि पूर्व में 02–2 नये हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने तथा 2–2 हैण्डपम्प रिबोर करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु आज तक हैण्डपम्प न रिबोर हुये न लगाये जाये।

सभापति नें सदस्यों से पूछा कि सभी वाडों में हैण्डपम्प रिबोर एवं नये अधिष्ठापित हो गये, जिस पर कुछ सदस्यों ने कहा कि हैण्डपम्प लगे है, परन्तु चालू नहीं है, इस पर महाप्रबन्धक जलकल से आपत्ति व्यक्त करते हुये स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये।

महाप्रबन्धक जलकल ने अवगत कराया कि सभी वार्डो में 2–2 हैण्डपम्प रिबोर हो गये है तथा नये हैण्डपम्प नहीं लग पाये इनकी भी व्यवस्था करायी जायेगी।

सभापति नें कहा कि सम्बन्धित ठेकेदार यदि कार्य नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे ठेकेदार से कार्य कराया जाये। मेरा सुझाव है यदि खराब समर्सिबल पम्प ठीक करा दिये जाये, तो पानी की समस्या से एक हद तक निजात मिल जायेगी।

श्री गिरीश चन्द्र ने कहा कि जल कल विभाग में धनाभाव होने के कारण पानी एवं सीवर की समस्याओं का समुचित समाधान नहीं हो पाता है। अतः उचित होगा कि नगर निगम द्वारा कुछ धनराशि आवंटित करा दी जाय।

नगर आयुक्त नें सदस्यों को अवगत कराया कि 15 वें वित्त आयोग में पेयजल व्यवस्था हेतु धनराशि उपलब्ध है, अतएव हैण्डपम्प अधिष्ठापन कराया जायेगा।

सभापति नें कहा कि श्रमिक कॉलोनियॉ जहॉ नगर निगम सुविधायें उपलब्ध करा रहा है वहॉ से भी टैक्स लिया जाये तथा अवैध कब्जेदारों को तत्काल हटाया जाय। वर्ष 1995 में कुछ आवंटियों द्वारा फ्री–होल्ड कराकर कॉलोनियों में दुकानें खोलकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।

वर्ष 2015 में उ0प्र0 के शासनादेश के तहत टैक्स लिया जा सकता है। अतः निरीक्षण कराते हुये व्यावसायिक टैक्स वसूला जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि पहले श्रम विभाग अपनी कॉलोनी किराया नगर निगम को देता था वर्ष 1995 के शासनादेश में फ्री होल्ड करने की बात थी, लेकिन लागू नहीं हो पाया। अब श्रम विभाग का कहना है श्रमिक कॉलोनियों का किराया नहीं देंगे। अब नगर निगम को श्रमिक कॉलोनियों का असिस्मेंट करके कर निर्धारण करना है।

सभापति ने कहा कि अगली कार्यकारिणी तक श्रम विभाग की प्रत्येक कॉलोनी का कर निर्धारण हो जाये।

सभापति के निर्देश के क्रम में नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि अप्रैल माह में सभी कर्मियों को श्रमिक कॉलोनियों के कर निर्धारण में तैनात करें।

श्री गिरीश चन्द्र ने अपने वार्ड के दीप टॉकीज तिराहे के पार्क में के अन्तर्गत भूमिगत कब्जे को अवगत कराया।

श्री गिरीश चन्द्र ने पुनः कहा कि सी0टी0आई0 चौराहे के समीप यूरीनलों तथा दीप टॉकीज के सामने के यूरिनल में भी कब्जे है, इसे मुक्त कराया जाये।

सभापति ने श्री स्वर्ण सिंह, जोनल अधिकारी को स्थलीय निरीक्षण कराकर तत्काल अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिये।

श्री अर्पित यादव ने पराग डेयरी के समीप हाकर्स के लिये बनाये गये चबूतरों को आज तक आवंटित नहीं किये गये, जिससे दुकानदार फुटपाथ पर सब्जी मण्डी लग रही है, यातायात प्रभावित होता है, नागरिक परेशान होते है।

अपर नगर आयुक्त श्री अरविन्द राय ने अवगत कराया कि 13, ब्लाक,गोविन्द नगर के 281 दुकानदार हाईकोर्ट गये थे, जिससे मा0 उच्च न्यायालय ने उन्हें ही आवंटित करने के निर्देश दिये है।

नगर आयुक्त ने कहा कि पराग डेयरी के चबूतरों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 13 ब्लाक सब्जी मण्डी के विस्थापित होने वाले दुकानदारों को उक्त स्थल आवंटित किया जाना है।

सभापति ने कहा कि जो हाईकोर्ट गये थे, उन्ही 281 दुकानदारों को आवंटन किया जाये। यदि चबूतरे शेष रहे तो साकेत नगर सड़क फुटपाथ में लग रही सब्जी मण्डी को हटाकर उन्हें विस्थापित किया जाये।

श्री राजीव सेतिया ने श्याम नगर स्थित ग्रीन बेल्ट विकसित करते हुये पार्किंग व्यवस्था एवं रिक्त जमीन में दुकानें बना दी जाये, तो नगर निगम की आय के साथ–साथ क्षेत्रीय यातायात भी सुगत होगा।

श्री अमित मेहरोत्रा ने भी कहा कि घसियारी मण्डी स्थित दुकानें का आवंटन करा दिया जाये तो नगर निगम की आय होगी, साथ ही शेष भूमि पर पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाये तो एक्सप्रेस रोड का यातायात सुलभ हो जायेगा। अभी घसियारी मण्डी की जमीन पर टैम्पो स्टैण्ड चल रहा है।

सभापति नें जोनल अधिकारी, जोन–1 को आदेशित किया कि घसियारी मण्डी दुकान का निरीक्षण करते हुए नगर निगम की जमीन खाली करायें।

श्री अशोक पाल ने कहा कि सभापति महोदय बाकरगंज बाजार का आप एवं नगर आयुक्त महोदय निरीक्षण भी कर चुके है। वहॉ जुबेर अहमद नाम का व्यक्ति दुकानें बेचकर स्वयं वसूली कर रहा है, जबकि जमीन नगर निगम की है।

सभापति ने श्री अतुल कृष्ण सिंह को समस्त जोनों की सम्पत्तियों के रजिस्टर के अनुसार नगर निगम के पार्क/भूखण्ड एवं अन्य परिसम्पत्तियों का चिन्हांकन कर अवैध कब्जे तत्काल हटाने के निर्देश दिये।

श्री गिरीश चन्द्र ने कहा कि नगर निगम यदि रीजेन्सी हास्पिटल की तरह दक्षिण क्षेत्र में एक हॉस्पिटल खोल संचालित कर दे तो क्षेत्रीय जनता को चिकित्सीय सुविधा प्राप्त होगी तथा नगर निगम की अपनी अलग छवि स्थापित होगी।

सभापति ने नगर आयुक्त से कहा अच्छा सुझाव है नगर निगम के बेकार पड़े अस्पताल/ डिस्पेन्सरी बन्द कर एक अस्पताल संचालित किया जा सकता है, क्यों कि अनेक डिस्पेन्सरी/ अस्पतालों में अवैध कब्जे है तथा क्षेत्र में अराजकत भी उत्पन्न होती है। इससे इनके तैनात कार्मिकों की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती हैं

नगर आयुक्त ने कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है क्यों कि अनेक डाक्टरों, विभिन्न डिसपेन्सरियों, अस्पतालों में मानदेय पर नगर निगम से पारिश्रमिक दिया जा रहा है।

श्री कैलाश पाण्डेय ने महाप्रबन्धक जल से कहा कि मेरे क्षेत्र में गन्दा पानी आ रहा है अधिशाषी अभियन्ता से कहने पर कार्यवाही नहीं होती है, आपकी इस पर क्या भूमिका है। मेनहोल खुले है, ढक्कन नहीं लगाये जा रहै है, दुर्घटनायें हो रही है।

श्री घनश्याम गुप्ता ने कहा कि मेरे वार्ड में सीवर भराव है, सुपर शाकर मशीन जल कल से नहीं भेजी जाती है, जनता घेराव कर रही है।

सभापति ने महाप्रबन्धक जल कल से कहा कि अभी आप नवांगत है तथा अधिशाषी अभियन्ताओं का स्थानान्तरण भी हो चुका है। अतः कोई तिथि निर्धारित कर सभी पार्षदों के साथ परिचायात्मक बैठक आहूत कर क्षेत्रवार समस्याओं का संज्ञान लेते हुये यथोचित समाधान करायें। 15 वें वित्त आयेाग से 15–20 टैंकर जल आपूर्ति हेतु और क्रय करने हेतु

नगर आयुक्त को प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिससे आगामी ग्रीष्म ऋतु में विभिन्न क्षेत्रों के पार्षद की मांग पर टैंकर भेजे जा सके। क्षेत्रों के पार्षद की मॉग पर टैंकर भेजे जा सके।

नगर आयुक्त ने महाप्रबन्धक से पूछा कि कितने पानी के टैंकर जल कल में है तथा जल कल विभाग में 42 टैंकर है तथा 1,65,000 मेन होल है।

श्री अर्पित यादव ने कहा कि जल कल विभाग गोल ढक्कन बनवाता है, जिसकी लागत चार हजार से पॉच हजार आती है, जबकि चौकोर ढक्कन की लागत मात्र 500 आयेगी। अतः कार्यहित एसवं जनहित के दृष्टिगत विचार कर लिया जाये।

दिनांक 26.03.2021 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में सभी सदस्यों से अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये कहा।

..... **दिनांक 26.03.2021 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सभी सदस्यों द्वारा की गयी।**

.....

तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर